संख्या-484/1543/25-27-सिं-9-146एसएवी/93

प्रेषक,

जगराम यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2025**

विषयः सिंचाई विभाग द्वारा संचालित राजकीय नलकूपों, लघु डाल नहरों तथा मध्यम एवं वृहद पम्प नहरों के विद्युत देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2481/आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/2025-26, दिनांक 28.08.2025 के क्रम में शासनादेश संख्या-474/2025/001/1433/25-27-9-146एसएवी/93, दिनांक 19.09.2025 द्वारा सिंचाई विभाग में संचालित पम्प /लिफ्ट नहरों, सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य हेतु रू0 500.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में पत्रांक-2481/आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/ 2025-26, दिनांक 28.08.2025 के स्थान पर त्रुटिवश पत्रांक-जी-2481/आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/2025-26, दिनांक 28.08.2025 अंकित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 19.09.2025 के प्रस्तर-1 में पत्रांक-जी-2481/आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/2025-26, दिनांक 28.08.2025 के स्थान पर पत्रांक-2481/ आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/ 2025-26, दिनांक 28.08.2025 पढ़ा जाय।

भवदीय,
जगराम यादव
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी-2), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in